न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 143/2019

1 श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी रामपाल सिंह।
2 अशोक कुमार उम्र 64 साल पुत्र रामपाल सिंह।
3 शीशराम उम्र 52 साल पुत्र रामपाल सिंह।
4 शंकरलाल उम्र 45 साल पुत्र रामपाल सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण ज्यानकीपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 शिवपाल पुत्र नानगराम।
2 रामगोपाल पुत्र नानगराम।
3 सुरजमल पुत्र नानगराम।
4 मुरलीधर पुत्र नानगराम।
5 छगनलाल पुत्र श्यामलाल समस्त जाति महाजन निवासीगण श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
6 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.19 मुकदमा नम्बर 69/2018 बउनवानी सरस्वती देवी बनाम शिवपाल आदि न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला जिला सीकर अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 19.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 69/2018 में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निशेधाज्ञा योग्य अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 126,131 कुल किता 2 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर तन ग्राम खेड़ी चारणान पटवार हल्का जाजोद तहसील खण्डेला जिला सीकर में अवस्थित है जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम गलत रूप से दर्ज है उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 49 ग्राम खेड़ी चारणान में है उक्त भूमि वादीगण के बुजुर्ग गोविन्दा पुत्र नारायण एवं हणमान का नाम दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी में वादीगण के पूर्वजों की काश्त दर्ज है एवं इसी प्रकार गिरदावरी स्लिप में वादीगण के पूर्वजों का नाम शिकमी काश्तकार के कॉलम में दर्ज है तथा लगान वादीगण एवं इनके पूर्वजों द्वारा अदा किया गया है वादीगण ने वादग्रस्त भूम एवं खसरा नम्बर 125,127,128,129,130,132 कुल किता 6 कुल रकबा 3.00 हैक्टेयर के साथ ही वादग्रस्त भूमि जो एकजाही करके सींव नींव कायम कर रखी है इसके लिये वादीगण को खसरा नम्बर 126,131 कुल किता 2 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर तन ग्राम खेड़ी चारणान श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वादीगण को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में हजफ किया जावें। वादीगण/अपीलांट ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी, खसरा गिरदावरी व गिरदावरी स्लिप तथा मौखिक साक्ष्य में स्वतंत्र गवाहों में शपथ पत्र पेश किये।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.11.2019 को निर्णय पारित करते हुये वादीगण/अपीलांट का वाद एडवर्स पजेशन का मानते हुए न्यायालय की क्षेत्राधिकार का न मानते हुए पोषणीय नहीं होने का आधार लेकर खारिज कर दिया जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 126,131 कुल किता 2 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर तन ग्राम खेड़ी चारणान पटवार हल्का जाजोद तहसील खण्डेला जिला सीकर में अवस्थित है जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम गलत रूप से दर्ज है उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 49 ग्राम खेड़ी चारणान में है उक्त भूमि वादीगण के बुजुर्ग गोविन्दा पुत्र नारायण एवं हणमान का नाम दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी में वादीगण के पूर्वजों की काश्त दर्ज है एवं इसी प्रकार गिरदावरी स्लिप में वादीगण के पूर्वजों का नाम शिकमी काश्तकार के कॉलम में दर्ज है तथा लगान वादीगण एवं इनके पूर्वजों द्वारा अदा किया गया है वादीगण ने वादग्रस्त भूम एवं खसरा नम्बर 125,127,128,129,130,132 कुल किता 6 कुल रकबा 3.00 हैक्टेयर के साथ ही वादग्रस्त भूमि जो एकजाही करके सींव नींव कायम कर रखी है इसके लिये वादीगण को खसरा नम्बर 126,131 कुल किता 2 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर तन ग्राम खेड़ी चारणान श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वादीगण को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में हजफ किया जावें। वादीगण/अपीलांट ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी, खसरा गिरदावरी व गिरदावरी स्लिप तथा मौखिक साक्ष्य में स्वतंत्र गवाहों में शपथ पत्र पेश किये। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.11.2019 को निर्णय पारित करते हुये वादीगण/अपीलांट का वाद एडवर्स पजेशन का मानते हुए न्यायालय की क्षेत्राधिकार का न मानते हुए पोषणीय नहीं होने का आधार लेकर खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधि विरूद्व है। प्रस्तुत दस्तावेजात से वाद वादी साबित है। अपने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कथनों के समर्थन में वादी अपीलांट वर वक्त बहस फर्द के साथ जमाबंदी एवं खसरा गिरदावरियों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत कर विचाराधीन निर्णय अपास्त करने एवं अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट अथवा उसके पूर्वज जमाबंदी में कही भी खातेदार काश्तकार अथवा उप कृषक दर्ज नही है। कुछ गिरदावरियों में काश्त के अंकन के आधार पर वादी अपीलांट खातेदारी की उदघोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि गिरदावरियों के अंकन के आधार पर खातेदारी की उदघोषणा नही की जा सकती है।

यहां यह भी विचारणीय है कि संवत 2012 से आज तक निरन्तर विवादित भूमि पर वादी अपीलांट की काश्त रही हो, ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर